रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062026-273467
CG-DL-E-15062026-273467

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427] नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2026/ज्येष्ठ 25, 1948
No. 427] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2026/JYAISTHA 25, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2026

सा.का.नि. 477(अ).— औषधि नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 927 (अ), तारीख 29 दिसंबर, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 30 दिसंबर, 2025 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना वाली सरकारी राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले, जिससे प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त सरकारी राजपत्र की प्रतियां जनता को 30 दिसंबर, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः, केंद्रीय सरकार अब, उक्त अधिनियम की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, औषधि नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि (पाँचवा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. औषधि नियम, 1945 की, अनुसूची 'ट' के, स्तंभ में, 'औषधियों का वर्ग' शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या 13 के सामने, मद संख्या (7) में, "सिरप," शब्द का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एक्स.11014/11/2025-डीआर]

हर्ष मंगला, संयुक्त सचिव

टिप्पण: औषधि नियम, 1945 राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 28-10/45एच(1), तारीख 21 दिसंबर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 444(अ), दिनांक 1 जून, 2026 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2026

G.S.R. 477(E).— Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs Rules, 1945 were published as required under sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number G.S.R. 927 (E), dated the 29th December, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 30th December, 2025 inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 30th December, 2025;

And whereas, objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs Rules, 1945, namely: —

1. (1) These rules may be called the Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs Rules, 1945, in Schedule K, in the column, under the heading Class of Drugs, against serial number 13, in item number (7), the word "Syrups," shall be omitted.

[F. No. X.11014/11/2025-DR]

HARSH MANGLA, Jt. Secy.

Note: The Drugs Rules, 1945 were published in the Official Gazette *vide* notification No. F. 28-10/45H(1), dated the 21st the December, 1945 and last amended *vide* notification number G.S.R. 444(E), dated.1st June, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA